"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2012— भाद्र 9, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, किशन सिंह पिता श्री छोटेलाल, उम्र 38 वर्ष, जाति-राउत, निवासी-पचरी पारा, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरी जन्मतिथि 06-04-1974 है. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरे पालकों द्वारा मेरा नाम बजरंग लाल दर्ज करवा दिया गया था एवं मेरे अन्य अभिलेखों में मेरा नाम किशन सिंह अंकित है. समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मैं अपना नाम बजरंग लाल के स्थान पर किशन सिंह दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे किशन सिंह आ. छोटेलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
बजरंग लाल पिता - श्री छोटेलाल निवासी-पचरी पारा, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	किशन सिंह पिता - श्री छोटेलाल निवासी-पचरी पारा, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपेश टांक "DEEPESH TAUNK", पिता स्व. निरंजन टांक, आयु - 33 वर्ष, निवासी-निरंजन एग्रो फार्म, जालबांधा रोड, ग्राम -सेवती, पोस्ट - हिर्री, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में अंग्रेजी में मेरा नाम "DEEPESH TAUNK" अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम "DIIPASH TAUNK" दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे दीपेश टांक "DIIPASH TAUNK" आ. स्व. निरंजन टांक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
दीपेश टांक	दीपेश टांक
(DEEPESH TAUNK)	(DIIPASH TAUNK)
पिता - स्व. निरंजन टांक	पिता - स्व. निरंजन टांक
निवासी-निरंजन एग्रो फार्म	निवासी-निरंजन एग्रो फार्म
जालबांधा रोड	जालबांधा रोड
ग्राम - सेवती	ग्राम - सेवती
पोस्ट - हिर्री	पोस्ट - हिर्री
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय आत्मज स्व. मगन लाल पित्रोड़ा, निवासी-वन्दना आटो के बाजू में, रामकुण्ड, रायपुर, थाना - सरस्वती नगर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) का हूं. वर्तमान में मैं सहायक अभियंता के पद पर कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन) 2 x 500 मे. वा., मड़वा-तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, छ. रा. वि. उ. कं. मर्या., जिला-जांजगीर-चाम्पा में कार्यरत हूं. यह कि मैने अपना नाम विजय के स्थान पर विजय पित्रोड़ा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे विजय पित्रोड़ा पिता स्व. मगल लाल पित्रोड़ा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
विजय	विजय पित्रोड़ा
आत्मज - स्व. मगन लाल पित्रोड़ा	आत्मज - स्व. मगन लाल पित्रोड़ा
निवासी-वन्दना आटो के बाजू में	निवासी-वन्दना आटो के बाजू में
रामकुण्ड, रायपुर	रामकुण्ड, रायपुर
थाना - सरस्वती नगर	थाना - सरस्वती नगर
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

प्र. क्र./ / ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /88/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सजन अग्रवाल, निवासी विनोबा नगर, बिलासपुर ने श्री श्याम सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट छत्तीसगढ़, श्याम वाटिका, 35/बी, शाला मार्ग चौबे कालोनी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 24-09-2012 को समय दोपहर 03.00 बजे उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री श्याम सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट छत्तीसगढ़, श्याम वाटिका, 35/बी, शाला मार्ग चौबे कालोनी, रायपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	25,000,00/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13-08-2012 को जारी.

एस. के. अग्रवाल,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

सारंगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2012

प्ररूप क्रमांक 4
[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक जिला रायगढ़ के समक्ष

क्रमांक 1606/अ. वि. अ./वाचक-1/2012.—यह कि श्री ईश्वर देवांगन अध्यक्ष एवं 2 अन्य श्री सांईराम ट्रस्ट सारंगढ़ निवासी सारंगढ़ तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ ने लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 31-08-2012 को दिन के 10.30 बजे मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

सांई राम ट्रस्ट सारंगढ़
उप-विधियां

(1) नाम - इस ट्रस्ट का नाम "श्री सांई राम ट्रस्ट सारंगढ़" होगा.

(2) दायित्व - इस ट्रस्ट का दायित्व सीमित होगा.

(3) स्थायी पता - इस ट्रस्ट का पंजीकृत पता तथा कार्यालय ग्राम सारंगढ़ पो. आ. सारंगढ़ तहसील सारंगढ़ जिला-रायगढ़ (छ. ग.) होगा.

(4) स्थायी पता - सचिव, श्री सांई राम ट्रस्ट, ग्राम+पोस्ट-सारंगढ़, तहसील सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

(5) **उद्देश्य -**
इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न साधनों के माध्यम से भगवान्नाम का प्रचार एवं प्रसार करना है इसके अलावा इस ट्रस्ट के द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का कार्य भी किया जायेगा.

इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट द्वारा निम्नांकित कार्य किये जायेंगे.
(1) समय-समय पर धार्मिक प्रवचनों एवं धार्मिक त्यौहारों का आयोजन करना. क्षेत्र में भजन एवं कीर्तन मण्डलियां गठित कर उनके माध्यम से भगवान्नाम का प्रचार एवं प्रसार करना. श्री सांईराम के प्रांगण में समय-समय पर अखण्ड कीर्तन का आयोजन करना.

(2) मंदिरों, प्रवचन भवनों, यज्ञ स्थलों तथा साधना केन्द्रों साधकों के निवास के लिये साधक निवास हेतु उपयुक्त स्थानों में भूमि की व्यवस्था करना तथा उस पर उपयुक्त निर्माण कार्य करना.

(3) बच्चों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिये शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करना.

(4) लोगों के बौद्धिक विकास के लिये पुस्तकालय संचालित करना.

(5) अनाथालय एवं वृद्धाश्रम संचालित करना.

(6) कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को आगे की पढ़ाई करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना.

(7) गौमाता की सेवा के लिये गोसदन की व्यवस्था करना.

(8) सांस्कृतिक उत्थान के लिये बच्चों को तथा योग्य व्यक्तियों को संगीत की शिक्षा देने की व्यवस्था करना.

(9) श्री सांई राम में स्थायी रूप से अखण्ड कीर्तन का आयोजन करना. इस लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिये निरंतर प्रयास करना.

(6) **सदस्यता -**

ट्रस्ट में निम्नानुसार न्यासी (ट्रस्टी) होंगे -

1- आजीवन न्यासी (Life long trustee)

जिन्होनें ट्रस्ट को अचल सम्पत्ति जैसे भूमि, भवन आदि दान के रूप में दिया हो.

2- स्थायी न्यासी (Permanent trustee)

जिन्होनें प्रतिवर्ष ट्रस्ट को एक निश्चित राशि नगद या वस्तु के रूप में देने का वचन लिखित रूप में दिया हो.

3- आनरेरी न्यासी (मानदेय न्यासी) (Honorary trustee)

न्यास मण्डल द्वारा नामांकित ऐसे व्यक्ति जिसकी सेवायें एवं अनुभव ट्रस्ट के लिये उपयोगी, लाभदायक एवं हितकर हो.

(7) **सदस्यता की समाप्ति -**

1- यदि किसी न्यासी के आचरण व्यवहार एवं कार्य से ट्रस्ट की प्रतिष्ठा एवं निष्ठा को क्षति पहुंचती हो तो न्यास मण्डल की स्वीकृति से ऐसे न्यासी की सदस्यता समाप्त की जा सकती है.

2- ऐसे स्थायी सदस्य जिन्होनें प्रति वर्ष ट्रस्ट को एक निश्चित राशि नगद में या वस्तु के रूप में देने का वचन दिया हो और वह अपने वचन का पालन नहीं करता हो तो ऐसे न्यासी की सदस्यता न्यास मण्डल की स्वीकृति से समाप्त की जा सकती है. परन्तु इसके पूर्व उसे समुचित अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए.

वर्तमान में ट्रस्ट के पास चल एवं अचल सम्पत्ति

ट्रस्ट के पंजीयन के समय आजीवन एवं स्थायी न्यासियों से वर्ष 2012-13 के लिये प्राप्त चंदा (Donation) की राशि 51,000 अंकन रु. इंक्यावन हजार रुपये मात्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के पास जमा है जिसे ट्रस्ट के पंजीयन होने के उपरांत बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोलकर जमा कर दिया जायेगा. जैसे-जैसे आजीवन स्थायी एवं मानदेय सदस्यों से वर्ष 2012-13 का एवं आगामी वर्ष का चंदा प्राप्त होते जावेगा उसे ट्रस्ट के खाते में जमा किया जावेगा.

न्यास मण्डल का गठन (Board of trustee)

ट्रस्ट के न्यास मण्डल का नामांकन ट्रस्ट के आजीवन न्यासी, स्थायी न्यासी तथा मानदेय न्यासियों के द्वारा किया जायेगा.

न्यास मण्डल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष सहित कुल 9 न्यासी होंगे.

1. अध्यक्ष - ट्रस्ट के आजीवन न्यासियों में से नामांकित किया जावेगा.

2. उपाध्यक्ष - ट्रस्ट के आजीवन न्यासियों में से नामांकित किया जावेगा.

3. **सचिव - ट्रस्ट के आजीवन एवं स्थायी न्यासियों में से नामांकित किया जावेगा.**

4. कोषाध्यक्ष - ट्रस्ट के आजीवन स्थायी न्यासियों में से नामांकित किया जावेगा.

ट्रस्ट के गठन के समय आजीवन एवं स्थायी न्यासियों द्वारा न्यास मण्डल (Board of trustee) का गठन निम्नानुसार किया गया -

1. अध्यक्ष - ट्रस्ट के आजीवन न्यासी श्री ईश्वर देवांगन पिता श्री रामप्रसाद देवांगन को सर्व सम्मति से ट्रस्ट का अध्यक्ष नामांकित किया गया.

2. उपाध्यक्ष - ट्रस्ट के आजीवन न्यासी श्री लखन शर्मा पिता स्व. श्री कुशालचंद शर्मा को सर्व सम्मति से ट्रस्ट का उपाध्यक्ष नामांकित किया गया.

3. सचिव - ट्रस्ट के स्थायी न्यासी श्री सुभाष चंद नंदे पिता स्व. श्री जी. एस. नंदे को सर्व सम्मति से ट्रस्ट का सचिव नामांकित किया गया.

4. कोषाध्यक्ष - ट्रस्ट के स्थायी न्यासी श्री समीर सिंह ठाकुर पिता श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर को सर्व सम्मति से ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नामांकित किया गया.

इनके अतिरिक्त निम्नांकित आजीवन स्थायी न्यासियों में से न्यास मण्डल का न्यासी नामांकित किया गया.

5. श्री आशिष केशरवानी पिता गोचरण बानी (स्थायी न्यासी में से)

6. श्री प्रकाश अग्रवाल पिता हरिशचंद अग्रवाल (आजीवन न्यासी में से)

7. श्री महेन्द्र अरोड़ा पिता भगवानदास (आजीवन न्यासी में से)

8. श्री पवन केजड़ीवाल पिता श्री चिरोंजीलाल (स्थायी न्यासी में से)

9. श्री दीपक अग्रवाल पिता राजेश अग्रवाल (स्थायी न्यासी में से)

इनके अतिरिक्त मानदेय न्यासियों को बैठक में बुलाया जावेगा. न्यास मण्डल की बैठक सामान्यत: माह में एक बार की जा[illegible]ी परन्तु इसके अलावा आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित की जावेगी परन्तु किसी भी दशा में न्यास मण्डल की बैठकों में तीन माह से अधिक का अन्तर नहीं [illegible]ना चाहिए.

न्यास मण्डल की बैठकों की पूर्व सूचना सचिव द्वारा संबंधित न्यासियों को दी जावेगी ताकि वे बैठकों में उपस्थित हो सके. बैठ[illegible]ों की सूचना में दिनांक, स्थान एवं समय का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावेगा.

न्यास मण्डल की बैठकों में न्यास के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जावेगी. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यास के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जावेगी. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यास के सचिव द्वारा अध्यक्षता की जावेगी.

न्यास मण्डल की बैठकों की कार्यवाही अनिवार्य रूप से कार्यवाही पंजी में लिखित में अंकित किया जावेगा. न्यासियों द्वारा उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर किया जावेगा. कार्यवाही पंजी के अंत में बैठक के अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर होना आवश्यक है.

गणपूर्ति -

न्यास मण्डल की बैठक के लिये कम से कम पांच न्यासियों की उपस्थिति आवश्यक होगी.

किसी विषय के निर्णय में पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को एक निर्णायक मत देने को अधिकार हो[illegible]ा.

न्यास मण्डल (Board of trustee) के अधिकार एवं कर्त्तव्य

न्यास मण्डल द्वारा ट्रस्ट के कारोबार से संबंधित समस्त अधिकारों का प्रयोग किया जावेगा.

विशेषत : ट्रस्ट के निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य होंगे -

1- अपने समस्त कार्यों में ट्रस्ट के विधान, नियम तथा इन उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना.

2- ट्रस्ट के न्यासियों की पंजी, हिसाब-किताब, लेखा-जोखा की पंजियां सही और अद्यावत रखवाने की व्यवस्था कराना.

3- समस्त माल मत्तों एवं दायित्वों प्राप्त किये तथा व्यय किये गये धनों तथा समस्त खरीदे एवं बेचे गये माल का सही और ठीक-ठीक हिसाब करना.

4- वार्षिक आय तथा व्यय पत्रक, लाभ-हानि पत्रक और लेन-देन पत्रक तैयार कराना और इन्हें आडिट कराकर व्यापक सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत करना.

5. हिसाब-किताब की जांच करना, बड़े खर्चों की स्वीकृति देना तथा आवश्यक रजिस्टर के रखे जाने एवं उनके आद्यतन पूर्ण रखे जाने पर निगरानी रखना.

6- ट्रस्ट के वार्षिक आय-व्यय, लाभ-हानि एवं लेन-देन पत्रकों के आडिट कराने की व्यवस्था कराना.

7- अधिकारियों एवं ट्रस्ट को भेंट देने वाले दर्शकों के निरीक्षण टीप एवं लेखा परीक्षण (आडिट रिपोर्ट) की टिप्पणियों पर विचार कर उचित कार्यवाही करना.

8- ट्रस्ट में नये न्यासियों की भर्ती के लिये स्वीकृति प्रदान करना.

9- न्यासी की सदस्यता की भर्ती के लिये स्वीकृति देना.

10- ट्रस्ट का सालाना व्यापक सम्मेलन बुलाना तथा उनके सुझावों के अनुसार कार्य करना. सालाना व्यापक सम्मेलन की बैठक में आय-व्यय, लाभ-हानि, लेन-देन पत्रक अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत करना.

11- ऐसे कार्यों के लिये उपसमितियां बनाना जिन्हें न्यासी मण्डल सरलतापूर्वक न कर सकती हो.

12- ट्रस्ट के कार्य क्षेत्र एवं क्षेत्रफल का विस्तार करना.

13- ट्रस्ट के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिये दैनिक या पाक्षिक या मासिक या वार्षिक पारिश्रमिक पर कर्मचारी नियुक्त करना तथा उनके कार्यों पर निगरानी रखना.

14- ट्रस्ट के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिये न्यासी मण्डल के न्यासियों में कार्यों का विभाजन करना.

15- ट्रस्ट की अचल एवं चल सम्पत्तियों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना.

16- ट्रस्ट की चल सम्पत्तियों के लिये डेड स्टाक पंजी आद्यतन पूर्ण रखाने की व्यवस्था करना.

17- अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये बाउंड्रीवाल, गेट, पुताई, पेंटिंग रिपेयरिंग आदि की व्यवस्था करना.

18- पानी की व्यवस्था के लिये ट्यूबवेल खुदवाने एवं सबमर्सिबल पम्प आदि लगवाने की व्यवस्था करना.

19- श्री सांई राम प्रांगण में पर्यावरण के लिये फलदार, छायादार एवं अन्य पेड़-पौधे लगाने की व्यवस्था करना. पेड़-पौधे की देखभाल करने की समुचित व्यवस्था करना.

20- साधु-संत, प्रवचनकर्ताओं एवं कथावाचकों के ठहरने के लिये आवश्यक व्यवस्था करना.

21- आजीवन एवं स्थायी न्यासियों की संख्या में वृद्धि करके दान, चंदा आदि प्राप्त करके ट्रस्ट की आमदनी में वृद्धि करने के लिये सतत प्रयास करना.

22- श्री सांई राम ट्रस्ट परिसर के चारो ओर स्थित प्राकृतिक खाई में घाट बनवाने, पुल बनवाने तथा इसकी सुन्दरता में वृद्धि करने के लिये सतत प्रयास करना.

23- श्री सांई राम ट्रस्ट परिसर में चारो दिशाओं में चारो धाम मंदिरों का क्रमश: निर्माण कराना तथा उनके परिक्रमा के लिये मार्ग बनाना.

24- श्री सांई राम ट्रस्ट परिसर में चल एवं अचल सम्पत्तियों तथा पेड़-पौधों की सुरक्षा के लिये चौकीदार की समुचित व्यवस्था करना.

25- श्री सांई राम ट्रस्ट परिसर में प्रकाश एवं पानी की स्थायी व्यवस्था करना.

26- बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोलना एवं खातों का व्यवहार (Operation of accounts) करने के लिये पदाधिकारियों को अधिकृत करना.

27- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये महिला शक्ति जागरण के लिये महिला मण्डलों का गठन करना.

28- ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना.

ट्रस्ट की पूंजी

ट्रस्ट की पूंजी निम्न प्रकार से एकत्रित की जावेगी -

1- ट्रस्ट के आजीवन स्थायी एवं आनरेरी न्यासियों से अचल एवं चल सम्पत्ति तथा चंदा, दान आदि प्राप्त करके.

2- शासन तथा स्थानीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करके.

3- न्यासी और गैर न्यासी लोगों से चंदा तथा दान आदि लेकर. वस्तु धान, चांवल, गेहूं, दाल आदि भी ट्रस्ट के लिये स्वीकार किये जायेंगे.

4- गांव के परिवारों से मुट्ठी चांवल प्राप्त करके.

5- ट्रस्ट के लिये आवश्यक टेबल, कुर्सी, अलमीरा, खाट, बिस्तर, तखत, पेटी, भोजन बनाने के बर्तन, पंखा, पुस्तकें आदि वस्तुओं के रूप में लोगों से दान प्राप्त करके.

6- अन्य स्रोतों में.

वार्षिक व्यापक सम्मेलन

ट्रस्ट के आजीवन स्थायी एवं मानदेय न्यासियों का वर्ष में एक बार वार्षिक व्यापक सम्मेलन न्यासी मण्डल द्वारा बुलाया जावेगा जिसमें ट्रस्ट के वार्षिक क्रियाकलापों, वित्तीय स्थिति, आगामी वर्ष के कार्यों की रूपरेखा आदि के संबंध में जानकारी दी जावेगी.

वार्षिक व्यापक सम्मेलन के सुझावों को न्यासी मण्डल द्वारा अमल में लाया जावेगा. वार्षिक व्यापक सम्मेलन के अधिकार एवं कर्तव्य -

1- ट्रस्ट की सर्वोच्च सत्ता वार्षिक व्यापक सम्मेलन में निहित होगी.

2- ट्रस्ट के न्यासी मण्डल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, मानदेय न्यासियों द्वारा वर्ष में किये गये कार्यों की समीक्षा करना एवं उन्हें मार्गदर्शन एवं निर्देशन देना.

3- ट्रस्ट के आगामी वर्ष के कार्यों की रूपरेखा एवं नीति तैयार करना.

4- ट्रस्ट के सालाना आय-व्यय की समीक्षा करना एवं आगामी वर्ष के लिये बजट पास करना.

5- ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं न्यासी मण्डल के सदस्यों का नामांकन करना परन्तु ट्रस्ट के गठन के समय नामांकित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तथा न्यास मण्डल के सदस्यों को सामान्यत: नहीं हटाया जावेगा परन्तु विशेष परिस्थिति में उक्त पदों पर नामांकित करने का अधिकार वार्षिक व्यापक सम्मेलन को होगा.

किसी की निधन हो जाने या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाने पर वार्षिक व्यापक सम्मेलन को रिक्त पद भरने का अधिकार होगा.

6- ट्रस्ट की उपविधियों में संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार.

ट्रस्ट के सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य

ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन एवं देख-रेख ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार सचिव द्वारा किया जावेगा.

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -

1- ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन एवं देख-रेख करना.

2- ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिये आवश्यक खर्चों की स्वीकृति प्रदान करना.

3- ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन की आमदनी एवं खर्च के हिसाब किताब अद्यतन रखवाने की व्यवस्था करना.

4- ट्रस्ट में न्यासी पंजी, बैठक कार्यवाही पंजी, रोकड़ बही, स्टाक रजिस्टर, खाता-बही आदि आवश्यक पंजियां ता तारीख पूर्ण रखवाने की व्यवस्था करना.

5- ट्रस्ट में कार्यरत दैनिक, पाक्षिक या मासिक या वार्षिक कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना तथा उन्हें आवश्यक निर्देशन एवं मार्गदर्शन देना.

6- ट्रस्ट के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा न्यासी मण्डल के सदस्यों से सलाह मश्वरा करके ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करना.

7- ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देशन देना.

8- दैनिक, पाक्षिक एवं मासिक एवं वार्षिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान करने की कार्यवाही करना.

11- ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्तियों का संरक्षण एवं देखभाल करना.

12- ट्रस्ट के वार्षिक आमदनी-खर्च, लाभ-हानि, लेन-देन पत्रकों को तैयार कराकर उनका वार्षिक लेखा परीक्षण कराने की आवश्यक व्यवस्था कराना.

13- ट्रस्ट की ओर से समस्त पत्र व्यवहार संबंधितों को करना.

14- ट्रस्ट के नाम आये पत्रों को अवलोकन कर उन पर आवश्यक कार्यवाही करना, पत्र व्यवहार करना.

15- न्यासी मण्डल एवं वार्षिक व्यापक सम्मेलन की समय पर बैठकें आयोजित करने के लिये समय पर सूचनापत्र संबंधितों को प्रेषित करने की कार्यवाही करना.

16- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये अन्य समस्त कार्यों को करना.

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

1- ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करना.

2- ट्रस्ट के आजीवन स्थायी एवं मानदेय न्यासियों से निर्धारित समय पर वार्षिक चंदा वसूल कर ट्रस्ट के खाते में ज़मा करना.

3- ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के आय-व्यय की रोकड़-बही एवं अन्य खातों में ता तारीख हिसाब-किताब पूर्ण रखने की व्यवस्था करना.

4- बैंक में ट्रस्ट के खाते की पासबुक आद्यतन पूर्ण कराकर सुरक्षित रखना. इसी तरह चेकबुक आदि संभालकर रखना.

5- ट्रस्ट से संबंधित अन्य कार्य करना जो उन्हें समय-समय पर सौंपा जाये.

न्यासीगणों की सूची

न्यास के पदाधिकारी एवं न्यासीगणों की सूची निम्नानुसार है :-

नाम

1. श्री ईश्वर देवांगन
2. श्री लखन शर्मा
3. श्री सुभाष नंदे
4. श्री समीर सिंह ठाकुर
5. श्री अमित कुमार तिवारी
6. श्री नंदकिशोर अग्रवाल
7. श्री पवन देवांगन
8. श्री शिवम चन्द्रा
9. श्री मुरली देवांगन
10. श्री गुलाब चंद अग्रवाल
11. श्री देवेन्द्र केशरवानी
12. श्री महेश कुमार अग्रवाल
13. श्री मुरली मनोहर स्वर्णकार
14. श्री ध्वजाराम पटेल
15. श्री जसविन्दर सिंह
16. श्री उमेश केशरवानी
17. श्री रविशंकर ठाकुर
18. श्री अनिल अग्रवाल
19. श्री कृष्ण कुमार यादव
20. श्री अशोक कुमार केजड़ीवाल
21. श्री मोन्टी केजड़ीवाल
22. श्री भरत अग्रवाल
23. श्री मनोज जायसवाल
24. श्री सुरेश अग्रवाल

राजेन्द्र गुप्ता,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जगदलपुर, जिला-बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2012

[छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69/(3) के अन्तर्गत]

" कारण बताओ सूचना पत्र "

क्रमांक/उ. पं. ज./परि./2012/723.— प्राथमिक महिला बेरोजगार सहकारी समिति मर्या., विजय वार्ड, जगदलपुर, पंजीयन क्रमांक 516 के कार्यकलापों की जांच करने बाबत्, उप पंजीयक सहकारी समितियां जगदलपुर के पत्र क्रमांक/विधि/12/482 दिनांक 25-05-2012 द्वारा श्रीमती संध्या प्रसाद, उप अंकेक्षक, को जांच हेतु निर्दिशित किया गया. श्रीमती संध्या प्रसाद, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 02-07-2012 को प्रस्तुत किये गये जांच प्रतिवेदन में संस्था के सदस्यों में विवाद की स्थिति निर्मित, आपसी वैमनस्य चरम सीमा पर, समिति के पास किसी भी प्रकार का रिकार्ड नहीं होना. उक्तानुसार संस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वर्णित कारण से आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित करता हूं.

अतएव मैं, एल. एल. बृंझ, प्र. उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-7-3/सह./15/2436 रायपुर दिनांक 13-जून 2001 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारण के आधार पर यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सूचना देता हूं कि क्यों ना आपके संस्था के विरुद्ध छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम धारा 69 (2) की कार्यवाही की जावे इस संबंध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कहना है तो इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जाकर की आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश प्रसारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 6-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक/836/उपंरा/परि./2012.—वस्तुत: आदिवासी दुर्गा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मोहड़, पंजीयन क्रमांक 499, दिनांक 18-01-2008, विकासखण्ड अं. चौकी, जिला राजनांदगांव, संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/790/उपंरा/परि./2012, राजनांदगांव दिनांक 27-7-2012 जारी किया कि आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के अनुसार वास्तव में कार्य करना बन्द कर दिया है जिसे अस्तित्व में बनाए रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया और न ही पक्ष समर्थन हेतु कोई उपस्थित हुए. इससे यह धारणा की जाती है कि उक्त सोसायटी को कारण बताओ सूचना पत्र क समस्त आरोप स्वीकार हैं जिसके परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ: 15-19/15-02/2012/03 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए आदिवासी दुर्गा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, मोहड़, पंजीयन क्रमांक 499, दिनांक 18-01-2008, विकासखण्ड अं. चौकी, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी

सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के विहीत प्रावधान के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी अं. चौकी, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.